कला उत्सव-2019

1. कला उत्सव – एक विरासत

कला उत्सव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, की वर्ष 2015 से एक ऐसी पहल है, जिसका उद्देश्य माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की कलात्मक प्रतिभा को पहचानना, उसे पोषित करना, प्रस्तुत करना और शिक्षा में कला को बढ़ावा देना है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में सौंदर्यबोध और कलात्मक अनुभवों की आवश्यकता और इसके द्वारा विद्यार्थियों में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविधता के ज्ञान प्रदान करने को मान्यता देता रहा है । कला शिक्षा (संगीत, नाटक, नृत्य, दृश्यकलाऐं एवं ललित कलाऐं) के संदर्भ में की जा रही यह पहल राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा — 2005 की अनुशंसाओं पर आधारित है।

हालांकि, भारत में कला एवं कलात्मक कौशल प्राप्त करने की परंपराऐं प्राचीन काल से रहीं हैं, परंतु विद्यालय स्तर पर अभी भी कलात्मक प्रतिभा को पहचानने की एक अचर प्रक्रिया विकसित हो रही है । हमारे यहाँ कला के माध्यम से सीखने – सिखाने की वर्षों पुरानी परंपरा रहीं हैं । ऐसी परंपराएँ व्यक्तिगत अभिव्यक्ति को जहाँ सामुदायिक स्तर तक ले जाने में सहायक होती हैं, वही उनका प्रभाव और योगदान समाज के विकास पर परिलक्षित होता है ।

कला शिक्षा को एक ऐसे माध्यम के रूप में माना जा सकता है जो विद्यार्थियों में सौंदर्यबोध का विकास करने के साथ-साथ ही उनमें कला के विभिन्न रुपों, रंगों, ध्वनिओं और गतिओं के प्रति संवेदनशीलता उत्पन्न करे । यह भी प्रमाणित तथ्य हैं कि कला का शिक्षा में समन्वय, रचनात्मकता, समस्या समाधान, कल्पना-शक्ति के विकास और बेहतर अभिव्यक्ति को बढ़ावा देता है।

कला उत्सव वर्ष 2015 में आरम्भ हुआ, स्कूलों में कलाओं के उत्सव की वह पहल है जो प्रत्येक वर्ष आयोजित हो रही है । इस उत्सव को वर्ष 2016, 2017 एवं 2018 में भी मनाया गया । जिला/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर कला उत्सव की संरचना इस प्रकार की गई है जिसमें कला प्रस्तुतियाँ एवं प्रदर्शनियाँ सम्मिलित हैं । कला उत्सव की संरचात्मक प्रक्रिया, विद्यार्थियों को भारत की जीवंत पारंपरिक कलाओं के समझने, अनुसंधान एवं प्रस्तुतीकरण करने में सहायक होती है। यह उत्सव विद्यार्थियों में भारत की जिला/राज्य/ राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत और उसकी जीवंत विविधता के प्रति जागरूकता लाने एवं

उत्सव मनाने का मंच प्रदान करता है। यह उत्सव न केवल विद्यार्थियों में बल्कि उनसे जुड़े सभी व्यक्तियों में भी संस्कृति का प्रचार/प्रसार करता है। भविष्य में यह उत्सव शिल्पकारों, कलाकारों और संस्थाओं को विद्यालयों के साथ जोड़ने में सहायता प्रदान करेगा।

कला उत्सव, प्रतिभागी विद्यार्थियों के जीवन-कौशल को बढ़ावा देने में भी मदद करेगा जो भविष्य में भारतीय संस्कृति के दूत के रूप में तैयार होंगे। कला उत्सव विद्यालयों के माध्यम से हमें हमारी मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को पहचानने और समझने में सहयोगी है।

कला उत्सव केवल एक बार में ही समाप्त हो जाने वाली गतिविधि नहीं है, बल्कि यह कलात्मक अनुभव को पहचानने, खोजने, अभ्यास करने और प्रदर्शन की सम्पूर्ण प्रक्रिया का प्रथम चरण है। एक बार इस प्रक्रिया का हिस्सा बनने के बाद, प्रतिभागी विद्यार्थी अपनी जीवंत कला शैली को प्रस्तुत करने के साथ-साथ, उस सांस्कृतिक अनुभव एवं मूल्यों पर आधारित जीवन जीऐंगे।

कला उत्सव की परिकल्पना एक समन्वित मंच उपलब्ध कराने का प्रयास है, जहाँ सामान्य विद्यार्थी और विशेष आवश्यकता समूह वाले विद्यार्थी (भिन्न क्षमताओं और विभिन्न आर्थिक-सामाजिक पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थी) एक साथ अपनी क्षमताओं का उत्सव मना सकें। यह उनकी प्रतिभा को पोषित करने एवं दिखाने हेतु, उचित अवसर एवं अनुकूल वातावरण प्रदान करेगा, और सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया को और अधिक मूर्त, रचनात्मक एवं आनंददायी बनाएगा। सभी विद्यार्थियों द्वारा – सामान्य छात्राऐं, छात्र, वंचित वर्ग से आए विद्यार्थी तथा दिव्यांग द्वारा एक साथ मंच साझा करने से बहुत सी पूर्वगामी सामाजिक रूढ़ियाँ टूटेंगी।

2. कला उत्सव के लिए दिशानिर्देश

2.1 कला के प्रकार

राष्ट्रीय कला उत्सव-2019 का केंद्रबिंदु किसी भी पारंपरिक/शास्त्रीय/लोक/समकालीन कलारुपों, शैलियों से संबंधित होगा। प्रतियोगिता हेतु निम्नलिखित कलारुप सम्मिलित किए गए हैं:

- संगीत (कंठ)
- संगीत (वाद्य वादन)
- नृत्य
- चित्रकला

2.2 पात्रता

सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय और गैर सरकारी विद्यालयों के 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थी कला उत्सव, 2019 में भाग ले सकते हैं। प्रत्येक राज्य एवं संघ शासित प्रदेश में गैर सरकारी विद्यालय एवं अन्य केंद्र सरकार के संस्थानों (जैसे सी.टी.एस.ए./एन.सी.ई.आर.टी. के डेमोन्सट्रेशन मल्टीपर्पस स्कूल/रेलवे स्कूल, बी.एस.एफ./सी.आर.पी.एफ./आर्मी/एयर फोर्स/कैन्ट बोर्ड्स/एन.डी.एम.सी., इत्यादि) के विद्यालय अपने राज्य में जिला स्तर एवं राज्य स्तर की कला उत्सव प्रतियोगिता में राज्य/संघ शासित प्रदेश के अन्य विद्यालयों के साथ प्रतियोगिता में भाग लेंगे। के.वि.सं. और न.वि.स. अपने स्तर पर अपने विद्यालयों में प्रतियोगिता आयोजित करेंगे और चारों कला रूप में चयनित दो सर्वश्रेष्ठ टीमें (एक, के.वि.सं. के सभी चारों कला विधाओं की और एक, न.वि.स. के चारों कला विधाओं की) राष्ट्रीय कला उत्सव की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजेंगे। इस प्रकार राष्ट्रीय कला उत्सव में कुल 38 दल (36 राज्य/संघ शासित प्रदेशों के और केंद्रीय विद्यालय संगठन एवं नवोदय विद्यालय समिति का एक-एक दल) भाग लेंगे।

2.3 राष्ट्रीय कला उत्सव

विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों/के.वि.सं./न.वि.स. द्वारा चुनी हुई श्रेष्ठ प्रविष्टियाँ, उपरोक्त वर्णित वर्गों/श्रेणियों में अपनी प्रतिभा का राष्ट्रीय कला उत्सव जो कि दिसंबर, 2019 में नयी दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, में प्रदर्शित की जाऐंगी।

राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में कला के प्रत्येक चयनित क्षेत्र से संबंधित कला के शिक्षक/कलाकार/विशेषज्ञ का अलग-अलग निर्णायक मंडल होगा। वही पूरे कार्यक्रम के दौरान मंडल के सदस्य रहेंगे। सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों/के.वि.सं./न. वि.स. से आग्रह है कि वे कृपया नई जानकारी के लिए कला उत्सव की वेबसाइट (http://www.kalautsav.in) देखते रहें।

2.4 प्रविष्टियाँ

इस वर्ष, प्रत्येक प्रस्तुति/प्रतियोगिता एकल रहेगी, न कि दल के रुप में। हर प्रस्तुति का

नोट — राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से आने वाले दलों के लिए तथा उनके साथ आये (अनुरक्षकों के लिए) एवं प्रतिभागियों की स्वीकार्य संख्या के आधार पर आवासीय सुविधा एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। इसकी सचूना प्रतिभागिता के लिए सभी प्रतिभागी विद्यालयों को दी जाऐंगी।

मूल्यांकन राज्य/संघ शासित प्रदेश/के.वि.सं./न.वि.स./दो प्रस्तुतियाँ अर्थात् एक छात्र एवं एक छात्रा प्रतियोगिता हेतु भेज सकते हैं। इस प्रकार प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश/ के.वि.सं./न.वि.स.द्वारा अधिकतम आठ प्रविष्टियाँ पूर्व में 4 वर्णित कला (पैराग्राफ 2.1) में भेज सकते हैं।

राष्ट्र स्तरीय कला उत्सव की (प्रस्तुति/प्रतियोगिता) केवल प्रामाणिक छात्र एवं छात्रा द्वारा में संबंधित विद्यालय के अधिकारियों/कला शिक्षक, शिक्षिका, विशेषज्ञों के निर्देशन में तैयार की जानी चाहिए। इस प्रस्तुतियों में किसी भी प्रकार के बाहरी, व्यावसायिक, पेशावर कलाकार की आवृत्ति/सम्मिलन स्वीकार्य नहीं होगा। हालांकि, सभी संबंधित गतिविधियों में विद्यालय के शिक्षक/शिक्षिका का मार्गदर्शन अपेक्षित एवं वांछनीय है।

प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश/के.वि.सं./न.वि.स. के द्वारा प्रस्तुत प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या निम्नलिखित है :

संगीत	एकल प्रस्तुति	1 छात्रा
(कंठ)		1 छात्र
संगीत	एकल प्रस्तुति	1 छात्रा
(वाद्य वादन)		1 छात्र

नृत्य	एकल प्रस्तुति	1 छात्रा 1 छात्र
चित्रकला		1 छात्रा 1 छात्र

प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश/के.वि.सं./न.वि.स. द्वारा एक शिक्षिका, प्रतिभागी छात्रा के लिए तथा एक शिक्षक प्रतिभाग कर रहे छात्र के अनुरक्षक के रूप में अपने अपने दल के साथ आऐंगे।

दिव्यांग छात्र/छात्रा के लिए एक अतिरिक्त अनुरक्षक, जो कि उनके माता/पिता अथवा उनके शिक्षक अथवा शिक्षिका हो सकते हैं, की स्वीकृति है।

इस प्रकार प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश/के.वि.स./न.वि.स. आठ (8) प्रतिभागी विद्यार्थी एवं 2 या 3 शिक्षक/अनुरक्षक अर्थात् कुल 11 सदस्यीय दल भेज सकता है।

2.5 पुरस्कार

प्रत्येक विजेता (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वालों) को प्रत्येक कला रूप में जीती गई राशि विजेता राज्य/संघ शासित प्रदेश/के.वि.सं./न.वि.स. के खाते में डिजीटली स्थानांतरित की जाएगी। विजेता प्रतिभागियों को एक ट्रॉफी और एक मेडल प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक प्रतिभागी को प्रतियोगिता में प्रतिभागिता के लिए एक प्रमाणपत्र भी प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक कला रूप में पुरस्कार राशि निम्नलिखित है:

प्रथम पुरस्कार — ₹ 25,000/-
द्वितीय पुरस्कार — ₹ 20,000/-
तृतीय पुरस्कार — ₹ 15,000/-

3. राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता के लिए

सभी नोडल अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे सभी व्यक्तिगत रूप से प्रविष्टियों की जाँच करेंगे तथा परिशिष्ट I एवं II पर दिए गए प्रपत्रों को भरकर अपलोड करने/ भेजने से पूर्व उनका प्रमाणीकरण अवश्य करेंगे।

3.1 संगीत (कंठ) - एकल प्रस्तुति

- प्रस्तुति की अवधि 4-6 मिनट की होगी।
- तकनीकी साज और उसे हटाने, प्रस्तुति के लिए आने अथवा जाने के लिए 5 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा/ का प्रावधान है।
- प्रस्तुति किसी भी मान्य शैली/पद्धति – पारंपरिक/ शास्त्रीय/लोक/समकालीन आदि में हो सकती है।
- सांगीतिक प्रस्तुति किसी भी भाषा अथवा उपभाषा में हो सकती है।
- संगीत वाद्यों पर संगतकार विद्यालय के शिक्षक हो सकते हैं।
- प्रतिभागी एक निश्चित ट्रेक/वृन्दवाद्य की सहायता लेकर गा सकते हैं। सांगीतिक प्रस्तुति दे सकते हैं। इस स्थिति में टीम को अपना वाद्य स्वयं लाने होंगे हैं।
- प्रतियोगिता के आयोजक द्वारा प्रतिभागियों को संगीत वाद्ययत्रों जैसे – तबला, ढोलक, ढोल, नाल, हारमोनियम, तानपुरा, की बोर्ड आदि में संगतकार की आवश्यकता की अग्रिम सूचना, नोडल अधिकारी द्वारा भरकर तथा प्रमाणित करते हुए निर्धारित प्रथम - परिशिष्ट I के साथ अवश्य जमा करा दें।
- प्रतिभागी के साथ केवल एक संगतकार, जो कि उनका शिक्षक भी हो सकता है, ही मान्य होगा, अन्य कोई नहीं। दिव्यांग प्रतिभागियों के लिए दो सहायक, जैसा कि पूर्व में वर्णित किया गया है, मान्य होंगे।
- प्रस्तुति की गायन शैली/पद्धति, गीत का मूलपाठ विषयक सांराश को अधिकतम 100 शब्दों में समाहित कर निर्धारित परिशिष्ट I के साथ अग्रिम रूप से अवश्य भेजें। इन प्रपत्रों को नोडल अधिकारी द्वारा भरकर भेजने के बाद इसके जमा किए जाने की सुनिश्चितता विद्यालय अपने स्तर भी कर लें।

मूल्यांकन प्रपत्र – संगीत (कंठ)

राज्य/संघ शा प्र/के.वि.स./न.वि.स. का नामः

प्रस्तुति का शीर्षकः

पद्धति/गायन की शैली	सुर	ताल	बंदिश/गीत के शब्दों का उच्चारण	सृजनात्मकता/ रचनात्मकता	मौलिकता	प्रस्तुतिकरण	कुल अंक
10	20	20	15	10	10	15	100

3.2 संगीत (वाद्य वादन) - एकल प्रस्तुति

- प्रस्तुति की अवधि 4-6 मिनट की होगी।
- तकनीकी साज सज्जा, प्रस्तुति के लिए तैयार करने के लिए और प्रस्तुति के बाद उसे हटाने तथा पुनः प्रस्तुति हेतु तैयार करने के लिए अतिरिक्त 5 मिनट का अतिरिक्त समय रहेगा।
- प्रस्तुति किसी भी मान्य शैली/पद्धति – पारंपरिक/ शास्त्रीय/लोक/समकालीन, आदि में हो सकती है।
- इस श्रेणी में कोई भी भारतीय संगीत वाद्य का वादन किया जा सकता है, (तबला, मृदंगम, सितार, सरोद, बाँसुरी, गिटार, वायलिन, वीणा, संतूर, शहनाई, आदि)।
- प्रतिभागी को प्रस्तुति हेतु वाद्य स्वयं ही लाने होंगे तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार का भुगतान या खर्च की परिपूर्ति आयोजक द्वारा नहीं की जाऐगी।
- वेशभूषा, मंच सज्जा और मंच का साज सामान, प्रस्तुति से संबंधित होना चाहिए।

मूल्यांकन प्रपत्र – संगीत (वाद्य वादन)

राज्य/संघ शा प्र/के.वि.सं./न.वि.स. का नामः

प्रस्तुति का शीर्षकः

वाद्य का नाम	वादन की श्रेणी/शैली	सुर	ताल	रचना एवं धारिता	प्रस्तुति की प्रामाणिकता एवं रचनात्मकता	वाद्य का संचालन	प्रस्तुतिकरण	कुल अंक
10	10	20	20	15	10	10	15	100

3.3 नृत्य एकल प्रस्तुति

- नृत्य प्रस्तुति की अवधि 4 से 6 मिनट की होगी।
- तकनीकी साज सज्जा जमाने/हटाने, प्रस्तुति के लिए आने तथा प्रस्तुति के पश्चात् जाने, आदि के लिए 5 मिनट अतिरिक्त दिए जाऐंगे।
- नृत्य प्रस्तुति किसी भी श्रेणी/प्रकार की -पारंपरिक/शास्त्रीय/लोक/समकालीन – हो सकती हैं। (आशा की जाती है कि नृत्य श्रेणी/प्रकार की सूचना तथा संगतकार वाद्य,आदि आयोजक के माध्यम से चाहिए हों तो इसको पूर्व सूचना भिजवा दी गई होगी तथा इसकी पुष्टि भी प्राप्त कर ली गई होगी।
- संगीत लाइव/पहले रिकॉर्ड किया गया हो सकता है।
- वेशभूषा और मेकअप साधारण, प्रामाणिक, विषयगत और प्रस्तुति के अनुरूप ही होने चाहिए। सेट, वेशभूषा की व्यवस्था टीम/दल द्वारा स्वयं ही की जाएगी।
- सांगीतिक प्रस्तुति की शैली एवं गीत आदि का मूलपाठ सारांश, अधिकतम सौ शब्दों में, नोडल अधिकारी द्वारा जमा कराए जाने वाले प्रपत्र परिशिष्ट - I, के साथ संलग्न कर आयोजक के पास अवश्य भेज दिया जाना चाहिए।

मूल्यांकन प्रपत्र – नृत्य

राज्य/संघ शा प्र/के.वि.सं./न.वि.स. का नामः

प्रस्तुति का शीर्षकः

श्रेणी/नृत्य की श्रेणी/ शैली	सुर/ गीत का अंश	ताल	साज-सज्जा, श्रृंगार	वेश-भूषा	प्रामाणिकता	रचनात्मकता	प्रसुतिकरण	कुल अंक
10	15	15	10	10	10	15	15	100

3.4 चित्रकला

- चित्रकला की प्रविष्टि/प्रविष्टियाँ किसी भी शैली – पारंपरिक/आँचलिक, क्षेत्रीय/ समकालीन में एवं किसी भी माध्यम – वाटर कलर्स/क्रेयॉन्स/तैलीय रंग/पेंसिल आदि की हो सकती हैं।
- इस कला रूप में प्रत्येक प्रतिभागी की एक ही चित्रकला के माध्यम से प्रविष्टि मान्य होगी।
- मान्य प्रतिभागी से यह अपेक्षित है कि वो राष्ट्रीय कला उत्सव –2018 के प्रतियोगिता

स्थल पर ही चित्र बनाऐं। अपने साथ पूर्व में बनाया गया कोई भी चित्र नहीं लाऐं।

- प्रतिभागियों के लिए आवश्यक नहीं है कि वे अपने साथ चित्रकला करने के लिए सामग्री अपने साथ लाऐं, लेकिन वे अपने साथ प्रतियोगिता में बनाने हेतु अपने चित्रकला के ब्रश एवं अन्य आवश्यक सामग्री लेकर आऐं। चित्रकला सामग्री आयोजक द्वारा उन्हें प्रतियोगिता स्थल पर ही प्रदान की जाएगी। प्रतिभागी, जो भी की चित्रकला सामग्री जैसे कि तैलीय रंग, ऐक्रेलिक रंग, क्रेयॉन्स, पानी के रंग आदि की एक यथोचित मात्रा में सूची अग्रिम रूप से बनाकर, नोडल अधिकारी द्वारा संस्तुत कर भेजे गए प्रपत्र – परिशिष्ट I के साथ अवश्य रूप से संलग्न करवाकर भिजवायें।
- प्रतियोगिता के दौरान की जाने वाली पेंटिंग का आकार 3 फीट बाई 3 फीट से बड़ा नहीं होना चाहिए।
- प्रतिभागी को पेंटिंग कर लेने के पश्चात् निर्णायक मंडल के समक्ष की गई पेंटिंग की विषय वस्तु/सार तत्व/ रंग – संयोजन आदि की व्याख्या करने को कहा जा सकता है।
- प्रतिभागिता के पश्चात् अपनी कलाकृति को वापिस ले जाने का उतरदायित्व भी प्रतिभागियों का होगा।
- प्रत्येक दल को अपने कार्य प्रदर्शित करने हेतु कार्य प्रकृति के अनुरूप का स्थान प्रदान किया जाएगा।
- यह अति आवश्यक है कि प्रत्येक कलाकृति की शैली एवं प्रस्तुति का एक मूलपाठ सारांश, जो कि सौ शब्दों से ज्यादा न हो, नोडल अधिकारी द्वारा संस्तुत/ अनुशंसित प्रपत्र – परिशिष्ट I के साथ संलग्न कर भेजा जाना चाहिए। कृपया हर प्रतिभागी सुनिश्चित करें कि दल का यह विवरण आवश्यक रूप से संलग्न किया गया है।

मूल्यांकन प्रपत्र – चित्रकला

राज्य/संघ शा प्र/के.वि.सं./न.वि.स. का नामः

प्रस्तुति का शीर्षकः

थीम का चयन	रचना/ संयोजन	मौलिकता	शुद्धता/बारीकी/ कोमलता/सौन्दर्य	प्रदर्शन	समग्र छवि	प्रस्तुतिकरण	कुल अंक
10	15	20	10	10	15	20	100

4. राज्य/संघ शासित प्रदेश के सचिव/आयुक्तों की भूमिका और उत्तरदायित्व

राष्ट्र स्तर पर कला उत्सव - 2019 में प्रतिभागिता हेतु अग्रेषित/अनुसंशा करने से पूर्व, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की प्रविष्टियाँ उस राज्य/सं.शा.प्र. विशेष के सचिव (शिक्षा) द्वारा स्वीकृत होनी आवश्यक होंगी, दल के सदस्यों की संख्या पूर्व में वर्णित निर्देश 2.2 से 2.4 के अनुसार ही होंगी। प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश, केन्द्रीय विद्यालय संगठन/नवोदय विद्यालय समिति का प्रतिनिधित्व कर रहे केवल 2-3 अनुरक्षक ही यथातथ्य स्वीकृत किए जाऐंगे/मान्य होंगें तथा किसी भी अतिरिक्त कर्मी को किसी भी राज्य/सं.शा.प्र./के.वि.सं./न.वि.स. के मान्य किए गए के अतिरिक्त एवं किसी भी अन्य परिवार के सदस्य/अनुरक्षी को प्रतियोगिता स्थल में न तो प्रवेश की अनुमति होगी एवं न ही कोई ठहरने/खाने एवं रहने की स्वीकृति आयोजकों अथवा स्वयं के खर्च वहन करने की स्थिति में भी दी जाएगी। इस प्रकार की व्यवस्था का कोई प्रावधान नहीं हैं। सुरक्षा कारणों एवं जगह की कमी के कारण से किसी भी राज्य/सं.शा.प्र./के.वि. सं./न.वि.स. के सक्षम प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिन टीमों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिभागिता हेतु भेजा गया है, उनके द्वारा वर्णित दिशानिर्देशों का कठोरता से पालन किया गया है। यदि अतिरिक्त अधिकारी/कर्मी दलों के साथ आते हैं तो उस राज्य/सं.शा.प्र./के.वि.सं./न.वि.स. विशेष के दो अंक प्रति अतिरिक्त अधिकारी/कर्मी, उनकी कला विशेष की प्रस्तुति में अर्जित कुल अंक तालिका में से काटा जाएगा/कम कर दिया जाऐंगे।

कला उत्सव निर्बाध रूप से चलता रहे, इसके लिए प्रतिभागी शिक्षकों/अनुरक्षकों से यह अनुरोध किया जाता है कि दल में साथ आने वाले छात्र/छात्राओं के उचित अनुशासन को सुनिश्चित करें। किसी भी तरह के गलत व्यवहार के लिए संबंधित दल के शिक्षक, अनुरक्षक जिम्मेदार होंगे और ऐसे मामलों में आयोजक द्वारा यथोचित कार्यवाही की जाएगी। जिसमें राज्य/सं.शा.प्र./के.वि.सं./न.वि.स. के निष्पादित कलाओं (Perforing Arts) के विषयान्तर्गत – संगीत (कंठ) – एकल एवं संगीत (वाद्य वादन) – एकल जिसमें तबला, ढोलक/नाल, हारमोनियम, तानपुरा/तम्बूरा, की बोर्ड तथा संगतकारों की व्यवस्था आयोजक द्वारा की जाएगी। आयोजक इस व्यवस्था को सुनिश्चित

करेंगे । प्रतिभागी/अनुरक्षकों द्वारा यह सुनिश्चितता बरती जाए कि उन्होंने, समय से अपनी वाद्यों एवं संगतकारों की आवश्यकता को प्रपत्र परिशिष्ट I में वांछित वर्णन सक्षम अधिकारी की संस्तुति/स्वीकृति के बाद आयोजक तक पहुँचा दिया है।

राष्ट्रीय कला उत्सव -2019 में प्रविष्टियाँ भेजने का प्रथम प्रारूप

(राज्य/सं.शा.प्र./के.वि.स./न.वि.स.द्वारा राष्ट्र स्तरीय प्रतिभागिता में भेजने हेतु।)

भाग क

सामान्य सूचनाएँ

1. राज्य/सं.शा.प्र./के.वि.सं./न.वि.स. _____

2. प्रतिभागियों का विवरण –

क्र. सं.	प्रतिभागी विद्यार्थी का नाम	कक्षाएं	लिंग पु/स्त्री/ अन्य (किन्नर) व यदि दिव्यांग है तो वर्णित करें	विद्यालय का नाम, डाकीय पता, पिनकोड तथा विद्यालय की श्रेणी-सरकारी/ अनुदान प्राप्त के.वि.सं./न. वि.स./प्राइवेट विद्यालय	कला श्रेणी - संगीत (कंठ) एकल/संगीत (वाद्य वादन) एकल, नृत्य की श्रेणी - एकल, चित्रकला
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					

3. मान्य शिक्षक/अनुरक्षकों का वर्णन –

क्र. सं.	शिक्षक/ अनुरक्षक का नाम	पदनाम	लिंग पु/स्त्री/ अन्य (किन्नर) व यदि दिव्यांग है तो वर्णित करें	विद्यालय का नाम, डाकीय पता, पिनकोड तथा विद्यालय की श्रेणी-सरकारी/अनुदान प्राप्त के.वि.सं./न.वि.स./ प्राइवेट विद्यालय	कला श्रेणी - संगीत (कंठ) एकल/संगीत (वाद्य वादन) एकल, नृत्य की श्रेणी - एकल, चित्रकला
1.					
2.					
3.					

4. संगीत वाद्य एवं सहायक/संगीतकार की आवश्यकता के लिए निम्नलिखित को सही (✓) मार्क से दर्ज करें। यह सहायता, कार्यक्रम स्थल पर रा.शै.अ.और प्र.प. द्वारा प्रतिभागीयों को निःशुल्क प्रदान की जाएगी बशर्ते प्रतिभागी छात्र/छात्रा की आवश्यकता की अग्रिम सूचना, रा.शै.अ.और प्र.प. द्वारा दी गई ई-मेल आई डी पर प्राप्त हो।

- ❖ तबला
- ❖ ढोलक
- ❖ नाल
- ❖ हारमोनियम
- ❖ तानपुरा/तम्बूरा
- ❖ की बोर्ड

5. चित्रकला/चित्रकला सामग्री की अपनी आवश्यकता हेतु निम्नलिखित सामग्री के विरूद्ध सही (✓) का निशान लगाऐंः

- ❖ ऑयल पेन्ट्स/तैलीय रंग
- ❖ वाटर कला/पानी के रंग
- ❖ एक्रलिक रंग / क्रेऑन
- ❖ पेंसिल कलर्स

6. हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में हर एक प्रस्तुति का मूलपाठ विषयक/शाब्दिक अर्थ प्रस्तुति की शैली/गीत/पद्धति/अंचल, क्षेत्र/भाषा, आदि को अधिकतम एक सौ शब्दों में वर्णित करते हुए अग्रिम सूचना के रूप में भेजें।

- ❖ संगीत (कंठ) – एकल प्रस्तुति
- ❖ संगीत (वाद्य वादन) – एकल प्रस्तुति
- ❖ नृत्य रूप – एकल प्रस्तुति
- ❖ चित्रकला

परिशिष्ट – II

घोषणा-पत्र

(राज्य/ संघ शासित प्रदेश/के.वि.सं./न.वि.स. के द्वारा प्रदत्त घोषणा)

राष्ट्रीय कला उत्सव - 2019 में प्रतिभागिता के लिए समस्त प्रमाणित/अनुशासित प्रविष्टियाँ संगीत (कंठ) एकल प्रस्तुति/संगीत (वाद्य वादन) एकल प्रस्तुति/नृत्य एकल प्रस्तुति/ चित्रकला, रा.शै.अ.और प्र.प. (एन.सी.ई.आर.टी.) द्वारा प्रदत्त दिशानिर्देशों के अनुसार हैं।

मैंने व्यक्तिगत रूप से इन प्रस्तुतियों का अवलोकन किया एवं मैं प्रमाणित करता हूँ कि यह संस्तुत प्रविष्टियाँ राष्ट्रीय कला उत्सव - 2019 के दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं करती हैं।

दिनाँक _____/___ /2019

स्थान _____

मोहर के साथ हस्ताक्षर

15 नवम्बर, 2019 तक परिशिष्ट I एवं II को पूर्णरूपेण भर कर, इन्हें निम्नलिखित इ-मेल आई-डी पर मेल किया जाना चाहिए – kalautsavncert2015@ gmail.com अथवा deaa.ncert@gmail.com एवं इसी के साथ-साथ निम्नलिखित पते पर डाक से भी भेजना आवश्यक है:

सेवा में

अध्यक्ष,

कला एवं सौंदर्यबोध शिक्षा विभाग,

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्,

श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110016

** राज्य एवं संघ शासित प्रदेश की संबंधित प्रविष्टियों की संस्तुति/अनुशंसा राज्य/ केंद्र प्रदेशों के संबंधित सचिव (शिक्षा) द्वारा की जाऐंगी तथा के.वि.सं./न.वि.स. से संबंधित प्रविष्टियों की संस्तुति/अनुशंसा, के.वि.सं./न.वि.स. के संबंधित आयुक्त द्वारा की जाऐंगी।*